न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2024

बउनवान

1. प्रेमशंकर पुत्र श्री हुकमचन्द जाति धाकड़, निवासी सोरसन
2. रविन्द्र पुत्र श्री हुकमचन्द जाति धाकड़ निवासी सोरसन
3. नाथीबाई बेवा श्री हुकमचन्द जाति धाकड़ निवासी सोरसन, तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) (अपीलांट्स)

बनाम

1. हंसराज पुत्र हुकमचन्द धाकड़ निवासी सोरसन तहसील अन्ता
2. दमयन्ति पुत्री हुकमचन्द पत्नि प्रहलाद नागर जाति धाकड़ निवासी कोटड़ी पाठेड़ा तहसील बारां जिला बारां
3. नवलबाई पुत्री हुकमचन्द पत्नि लालचन्द धाकड़ निवासी नियाना खजूरना तहसील अन्ता जिला बारां
4. सुगनाबाई पुत्री हुकमचन्द पत्नि रमेशचन्द धाकड़ निवासी ग्राम मण्डावर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 2064 दिनांक 16.03.2024 स्वीकृत दिनांक 20.03.2024

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द गौतम एडवोकेट (अपीलांट्स)
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 16.10.2024

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोरसन तहसील अन्ता की आराजी खाता संख्या नया 532 पुराना 510 में स्थित आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संवत 2071–74 में हुकमचंद पुत्र भैरूलाल धाकड़ के खाते दर्ज है। माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां का दिनांक 18.10.2012 का स्थगन आदेश ये यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखने का नोट दर्ज था। उक्त वाद में दान पत्र की आराजी विवादित संपत्ति रही है। उक्त वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 2 बारां के यहां अन्तरित होकर वाद संख्या 1/2019 पर दर्ज होकर दिनांक 17.02.2024 को निर्णित किया गया है। उक्त वाद मे न्यायालय द्वारा दान पत्र तारीखी 11.97.2012 रजिस्टर्ड दिनांक 13.07.2012 को व्यर्थ, शून्य अवैद्यानिक व अप्रभावी निरस्तनीय घोषित किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 से 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वे विवादित संपत्ति को किसी अन्य को विक्रय रहन नहीं करे। उक्त वाद में रेस्पो0 क्रम 2 दमयंति व क्रम 4 सुगनाबाई की ओर से अपीलान्ट्स व रेस्पो0 क्रम 3 नवलबाई व क्रम 1 हंसराज एवं क्रम 5 राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अंता के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ था जिसका पूर्ण ज्ञान एवं जानकारी रेस्पो0 को भली भांति है। उपरोक्त इंतकाल नंबर 2064 की कृषि भूमि बाबत एक राजस्व वाद क्रमांक 24/2012 रेस्पो0 क्र 2,3 व 4 ने अपीलान्ट्स व रेस्पो0 क्रम 1 व 5 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 53,88,89,188 राज0 टिनेन्सी एक्ट का भी प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 टिनेन्सी एक्ट प्रकरण क्रमांक 15/2012 प्रस्तुत कर दिनांक ...2012 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त हुई है। यह वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय उप–जिला ... य, अंता के न्यायालय में जैरकार है जिसमें आगामी पेशी 05.06.2024 नियत है। उक्त ... वाद क्रमांक 1/2019 का निर्णय दिनांक 17.02.2024 को होने के ... अपील अ... माप्ति से पूर्व एवं न्यायालय उपखंड अधिकारी ... आदेश दिनांक 20.0... की पूर्ण जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

रखते हुए तथ्यों को छुपाकर रेस्पो0 क्रम 2 व 4 ने दिनांक 29.02.2024 को 17.02.2024 के निर्णयानुसार दान पत्र निरस्त होने से फौती इन्तकाल दर्ज करने का आवेदन रेस्पो0 क्रम 5 के वहां प्रस्तुत किया, उसी दिनांक को रेस्पो0 क्रम 1 ने भी एक आवेदन फौती इंतकाल खोलने का प्रस्तुत किया जिसमें दोनो प्रकरणों के तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना की कि स्व0 मांगीलाल उर्फ मांग्या के स्थान पर प्रार्थनापत्र में वर्णित वारिसान के नाम फौती इन्तकाल खोला जावे। रेस्पो0 क्रम 5 द्वारा आदेश क्रमांक एल आर/2024/638 दिनांक 29.02.2024 जांच करने एवं वाद विवाद हो तो पालना नहीं करने पर आदेश रेस्पो0 क्रम 2 व 4 के प्रार्थना पत्र पर दिया, परन्तु रेस्पो0 क्रम 1 हंसराज के प्रार्थना पत्र में मृतक स्व0 मांगीलाल उर्फ मांग्या दर्ज होते हुए भी हल्का पटवारी को जांच हेतु भिजवा दिया जिस पर दिनांक 13.03.2024 को हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर दिनांक 15.03.2024 को एल आर के हस्ताक्षर कराये। अपीलान्ट्स से कोई जानकारी नहीं की गई। मात्र हंसराज का शपथ पत्र लेकर उक्त इंतकाल रेस्पो0 क्रम 5 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया, बिना किसी न्यायालय के डिक्री 17.02.2024 की पालना आदेश जारी हुए अवैद्यानिक रूप से तस्दीक कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो ने आपस में मिलीभगत कर रेस्पो0 क्रम 5 ने समस्त तथ्यों की जानकारी रखते हुए अवैद्यानिक रूप से कार्यवाही कर बिना डिक्री की पालना की तहरीर न्यायालय से जारी हुए, अपील की समयावधि समाप्ति से पूर्व ही इन्तकाल खोल कर प्रक्रिया, नियमों, विधिक प्रावधानों को नजरअन्दाज कर जानबूझकर अपीलान्ट्स को क्षति पहुंचाने एवं अपीलान्ट्स को उक्त इंतकाल की अपील करने एवं सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करने को मजबूर किया है। समस्त कार्यवाही दूषित होने से निरस्तनीय है। इंतकाल नंबर 2064 दिनांक 16.03.2024 स्वीकृत दिनांक 20.03.2024 रेस्पो0 क्रम 5 द्वारा विशेष रूप से दीवानी व राजस्व न्यायालय में दोवों में पक्षकार होते हुए भी खोलकर त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नंबर 2064 दिनांक 16.03.2024 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय की डिक्री की पालना में बगैर इजराय के नामान्तकरण दर्ज किया है। माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री के माध्यम से दान पत्र को निरस्त किया गया है। अपीलांट्स को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां द्वारा पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया तथा अपील की मियाद समाप्त होने से पूर्व ही विवादित इंतकाल दर्ज कर दिया। विवादित आराजी से संबंधित लम्बित राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण क्रमांक 15/2012 में दिनांक 20.07.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की हुई है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नंबर 2064 दिनांक 16.03.2024 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि दानपत्र हुकमचन्द द्वारा तहरीर किया गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात फौती इंतकाल खुला है। डिक्री की पालना में इंतकाल नहीं खुला है। जिससे इजराय एवं अपील का कोई संबंध नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा जारी स्थगन आदेश के [illegible] अपीलांट्स ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा जारी [illegible] आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है फौती इंतकाल खोला गया है। अतः अपील निरस्त फरमा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि इंतकाल हेतु प्रस्तुत आवेदन में न्यायालय की डिक्री का हवाला दिया गया है जिसके आधार पर इंतकाल दर्ज हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नंबर 2064 दिनांक 16.03.2024 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी से संबंधित वाद प्रकरण संख्या 24/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में जैरकार है जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 15/2012 में दिनांक 20.07.2012 को एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत नियमित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन है। नामान्तकरण एक समरी ट्रायल व फिसकल (Fiscal) कार्यवाही है। पक्षकारान के मूल अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन वाद में ही तय होंगे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम सोरसन का इंतकाल नंबर 2064 दिनांक 16.03.2024 तस्दीक दिनांक 20.03.2024 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन वाद में पारित निर्णय अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested